



अनुसंधान प्रश्न

“भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सहित भारतीय कानून के तहत जीरो एफआईआर क्या है, इसे क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी थाने में कब दर्ज कराया जा सकता है, और दर्ज करने से पुलिस के इनकार पर अदालतों ने क्या कहा है?”

भारतीय कानूनी ढांचे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) की संकल्पना, इसकी वैधानिक स्थिति और पंजीकरण से पुलिस के इनकार पर न्यायिक दृष्टिकोण

सारांश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(1) के तहत 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) को स्पष्ट रूप से मजबूत वैधानिक मान्यता दी गई है, जो क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने की अनुमति देती है (*Anand Sathish v. The Superintendent of Police* (2024))। उच्चतम न्यायालय ने *Lalita Kumari v. Government of U.P.* (2012) के सिद्धांतों के तहत यह स्थापित किया है कि संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होने पर एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण पुलिस का कानूनी कर्तव्य है। यदि पुलिस एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो अदालतों ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित का सीधा उपचार उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना नहीं है, बल्कि उसे बीएनएसएस/सीआरपीसी के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग करना चाहिए (*Md. Laskar Ali v. The State of Assam* (2025))।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	3	2025
14 उच्च न्यायालय • 11 सर्वोच्च न्यायालय		Calcutta High Court

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 जीरो एफआईआर का वैधानिक आधार और उद्देश्य

बीएनएसएस, 2023 की धारा 173(1) संज्ञेय अपराध के प्रकटीकरण पर किसी भी पुलिस थाने में क्षेत्राधिकार की सीमा के बिना एफआईआर दर्ज करने का वैधानिक अधिकार देती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य त्वरित न्याय और साक्ष्य को नष्ट होने से बचाना है (*Anirban Bhattacharya v. The State of West Bengal* (2025))।

02 क्षेत्राधिकार के अभाव में भी अनिवार्य पंजीकरण

यदि पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देती है, तो वह क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला देकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता; उसे पहले '0' नंबर के साथ जीरो एफआईआर दर्ज करनी होगी और फिर उसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने में स्थानांतरित करना होगा (*Shivananad Bhajanthri v. State of Telangana* (2025), *Neelu Shrivastava v. State & Ors* (2021))।

03 पंजीकरण से इनकार पर वैकल्पिक कानूनी उपाय

पुलिस द्वारा एफआईआर/जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने की स्थिति में, पीड़ित के लिए सीधा उच्च न्यायालय जाना अनुचित है; उसे बीएनएसएस की धारा 173(4) (एसपी को लिखित शिकायत) और धारा 175(3) (मजिस्ट्रेट को शिकायत) के तहत वैधानिक वैकल्पिक कानूनी उपचार का उपयोग करना चाहिए (*Petitioner v. Station House Officer, II Town Police Station* (2022), *Santosh Kumar Bhaskar v. State of Chhattisgarh* (2023))।

04 मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक दिमाग का प्रयोग

जब कोई शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज न करने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट को यांत्रिक रूप से आदेश देने के बजाय यह देखने के लिए अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि क्या आरोप वास्तव में संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं (*Om Prakash Ambadkar v. The State of Maharashtra* (2025), *Kamlesh Meena v. State of U.P.* (2025))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार दोहराया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। *K.P. Tamilmaran v. The State by Deputy Superintendent of Police* (2025) में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, तो बिना औपचारिक मुखबिर के भी एफआईआर दर्ज करना उनका दायित्व है। हालांकि, भ्रष्टाचार या व्यावसायिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले एक सीमित प्रारंभिक जांच की अनुमति दी गई है (*The State of Telangana v. Sri Managipet* (2019), *Kailash Vijayvargiya v. Rajlakshmi Chaudhuri* (2023))।

**उच्च न्यायालय की
भिन्नताएँ**

उच्च न्यायालयों ने माना है कि संपत्ति या ब्रोकरेज विवादों जैसे मामलों में, जहां दीवानी और आपराधिक दोनों तत्व मिश्रित होते हैं, जांच के प्रारंभिक चरण में एफआईआर को आसानी से रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है बल्कि केवल जांच शुरू करने का एक साधन है (*Rohit Das v. The State* (2025), *T. Madhavi v. The State* (2025))।

हाल का विकास

बीएनएसएस, 2023 की शुरुआत के बाद, अदालतों ने सख्त प्रक्रियात्मक अनुपालन पर बल दिया है। *G. Krishna Murthy v. State of Karnataka* (2025) में यह माना गया कि धारा 173 बीएनएसएस की अनिवार्य प्रक्रिया (जैसे स्टेशन डायरी में लिखित प्रविष्टि) का पालन किए बिना की गई जांच पूरी तरह से दूषित (vitiated) हो जाती है। इसके अलावा, *R. Somasundaram v. State of Tamil Nadu* (2025) में मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत दी गई प्रारंभिक जांच की शक्ति कोई 'मिनी-ट्रायल' नहीं हो सकती।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ**पंजीकरण में व्यावहारिक त्रुटियाँ**

अक्सर व्यावहारिक धरातल पर पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करते समय '0' प्रत्यय या उपसर्ग लगाने के बजाय सामान्य क्रम संख्या अंकित कर देती है, जिसे बाद में अदालतों को सुधारात्मक निर्देश देकर क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का आदेश देना पड़ता है।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 173, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — INFORMATION IN COGNIZABLE CASES

यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी जानकारी पुलिस अधिकारी को दी जा सकती है, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, जो 'जीरो एफआईआर' को वैधानिक आधार प्रदान करता है।

"173. Information in cognizable cases.—(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given— (i) orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it; (ii) by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within three days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may by rules prescribe in this behalf" उद्धृत: Md. Laskar Ali v. The State of Assam, Shivananad Bhajanthri v. State of Telangana, R. Somasundaram v. State of Tamil Nadu, G. Krishna Murthy v. State of Karnataka, Kamlesh Meena v. State of U.P., Anirban Bhattacharya v. The State of West Bengal, Rohit Das v. The State, T. Madhavi v. The State, Jahanara Begum v. The State, K. Bhaskar Rao v. The State and Others

SECTION 175, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — POLICE OFFICER'S POWER TO INVESTIGATE COGNIZABLE CASE

यह थाना प्रभारी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने का अधिकार देता है, और ऐसी कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के आधार पर प्रश्रुत होने से बचाता है।

"Section 175. Police officer's power to investigate cognizable case\n\n(1) Any officer in charge of a police\nstation may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having\njurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try\nunder the provisions of Chapter XIV\n\n(2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the\nground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate." उद्धृत: Md. Laskar Ali v. The State of Assam, Anirban Bhattacharya v. The State of West Bengal

SECTION 178, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — POWER TO HOLD INVESTIGATION OR PRELIMINARY INQUIRY

यह मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच का निर्देश देने या प्रारंभिक जांच करने का अधिकार देता है।

"Section 178. Power to hold investigation or preliminary inquiry\n\nThe Magistrate, on receiving a report\nunder section 176, may direct an investigation, or, if he thinks fit, at once proceed, or depute any Magistrate\nsubordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in the\nmanner provided in this Sanhita." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Anirban Bhattacharya v. The State of West Bengal</i> WBCHCA0507452023	CALCUTTA HIGH COURT	2025	संज्ञेय अपराध होने पर क्षेत्राधिकार के बिना जीरो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।
02	<i>Anand Sathish v. The Superintendent of Police</i> HCMDO11008342024	MADRAS HIGH COURT	2024	बीएनएसएस धारा 173(1) के तहत जीरो एफआईआर को वैधानिक दर्जा प्राप्त है।
03	<i>Neelu Shrivastava v. State & Ors</i> DLHC010126882020	HIGH COURT OF DELHI	2021	त्वरित न्याय हेतु किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
04	<i>Petitioner v. Station House Officer, II Town Police Station</i> APHCO10238202022	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2022	जीरो एफआईआर दर्ज न करने पर अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पोषणीय नहीं है।
05	<i>Shivananad Bhajanthri v. State of Telangana</i> HBHC010482962025	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2025	कर्नाटक के अपराध हेतु हैदराबाद पुलिस बीएनएसएस धारा 173 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर सकती है।
06	<i>The State of Telangana v. Sri Managipet @ Mangipet Sarveshwar Reddy</i> ESCR010003152019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	संज्ञेय अपराध के खुलासे पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, प्रारंभिक जांच वैकल्पिक है।
07	<i>Om Prakash Ambadkar v. The State of Maharashtra</i> ESCR010002692025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	मजिस्ट्रेट को धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक लगाना चाहिए।
08	<i>Lalita Kumari v. Government of U.P.</i> ESCR010001522012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए बाध्यकारी है।
09	<i>Md. Laskar Ali v. The State of Assam</i> GAHC010007462025	GAUHATI HIGH COURT	2025	एफआईआर दर्ज न होने पर रिट याचिका के बजाय मजिस्ट्रेट के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
10	<i>Rohit Das v. The State</i> WBCHCP0001852025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	एफआईआर अपराध का एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, यह केवल जांच शुरू करने का आधार है।
11	<i>K.P. Tamilmaran v. The State by Deputy Superintendent of Police</i> ESCR010005442025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	औपचारिक मुखबिर के बिना भी संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है।
12	<i>T. Madhavi v. The State</i> WBCHCP0001872025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	जांच के प्रारंभिक चरण में सिविल प्रकृति दर्शाने मात्र से एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।
13	<i>Kailash Vijayvargiya v. Rajlakshmi Chaudhuri</i> ESCR010004192023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Jahanara Begum v. The State</i> WBCHCP0001882025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	शुरुआती चरण में एफआईआर को रद्द करना जांच प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप होगा।
15	<i>Charansingh v. State of Maharashtra</i> ESCR010002042021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनुमेय है।
16	<i>R. Somasundaram v. State of Tamil Nadu</i> HCMD010636422025	MADRAS HIGH COURT	2025	बीएनएसएस धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच को मिनी-ट्रायल नहीं बनाया जा सकता।
17	<i>G. Krishna Murthy v. State of Karnataka</i> KAHC010158772025	HIGH COURT OF KARNATAKA	2025	धारा 173 बीएनएसएस की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना जांच दूषित हो जाती है।
18	<i>Pradeep Nirankarnath Sharma v. State of Gujarat & Ors.</i> ESCR010003502025	SUPREME COURT OF INDIA	2025	एफआईआर पंजीकरण से पहले अभियुक्त को स्पष्टीकरण का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
19	<i>Bikash Ranjan Rout v. State Through The Secretary (Home) Government Of NCT Of Delhi</i> ESCR010008632019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	मजिस्ट्रेट आरोपी को डिस्चार्ज करने के बाद स्वतः संज्ञान से आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकता।
20	<i>K. Bhaskar Rao v. The State and Others</i> WBCHCP0001912025	CALCUTTA HIGH COURT	2025	संपत्ति विवादों में एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को शुरुआती चरण में रद्द नहीं किया जा सकता।
21	<i>Kamlesh Meena v. State of U.P.</i> UPHC013393912025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट और शपथ पत्र पर विचार करना होगा।
22	<i>Surender Kaushik v. State of Uttar Pradesh</i> ESCR010003162013	SUPREME COURT OF INDIA	2013	एक ही घटना के विभिन्न पहलुओं पर परस्पर विरोधी (counter) एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
23	<i>Santosh Kumar Bhaskar v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010033682023	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2023	एफआईआर दर्ज न करने की स्थिति में धारा 156(3) और धारा 200 सीआरपीसी का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
24	<i>Ebha Arjun Jadeja & Ors. v. The State of Gujarat</i> ESCR010002512019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	संज्ञेय अपराध की मौखिक सूचना मिलने पर पुलिस उसे दर्ज करने के लिए बाध्य है।
25	<i>Union of India v. State of Maharashtra</i> ESCR010001392019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	एट्रोसिटी एक्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई विशेष छूट या पूर्व-मंजूरी आवश्यक नहीं।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Anirban Bhattacharya v. The State of West Bengal

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-09-19 • CRR/4119/2023

यह मामला एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revisional Application) से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक प्रसिद्ध गायक Nachiketa Chakraborty के खिलाफ hate speech और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में Section 156(3) of the Cr.P.C. के तहत आवेदन दिया था, जिसे मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) के अभाव में खारिज कर दिया था।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 173(1) जीरो एफआईआर के विचार को वैधानिक मान्यता देती है। संज्ञेय अपराध के रिपोर्ट होने पर किसी भी पुलिस थाने के लिए इसे दर्ज करना अनिवार्य है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ हो। इसके बाद इसे संबंधित थाने को आगे की जांच के लिए भेजा जाना चाहिए।

“(4) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1), may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Sanhita, and such officer shall have all the 13 powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence failing which such aggrieved person may make an application to the Magistrate.” Section 175 of the BNSS reads as follows: - 175. Police officer's power to investigate cognizable case. “(1) Any officer in charge of a police station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XIV: Provided that considering the nature and gravity of the offence, the Superintendent of Police may require the Deputy Superintendent of Police to investigate the case. (2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. (3) Any Magistrate empowered under section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under sub-section (4) of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above-mentioned. (4) Any Magistrate empowered under section 210, may, upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, order investigation, subject to- (a) receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him; and (b) after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged.” 14 19. This Court has deeply analysed the statutory provisions, particularly section 156 (3) of the Cr.P.C. corresponding to Section 175 (3) of the BNSS. Both delineate the powers of the Magistrate as far as police investigation is concerned. Section 156(3) empowers a Magistrate to order an investigation by an officer in charge of a police station within the Magistrate's territorial jurisdiction. 20. Section 154 of the Cr.P.C. mandates the registration of FIRs irrespective of territorial limits, and sections 155 and 156 of the Cr.P.C. impose jurisdictional constraints during the investigation and trial stages. The Magistrate's power under Section 156(3) is strictly confined to ordering investigations by the officer in charge of a police station within their jurisdiction. 21. Section 173 of the BNSS governs the registration of FIRs, including the concept of the Zero FIR, and outlines the process for receiving information through oral, written, or electronic means. The concept of Zero FIR refers to a First Information Report filed at a police station regardless of jurisdiction. It essentially marks the initial stage of an investigation before the location of the offence is determined. 22. According to section 173(1) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023, a Zero FIR allows any police station to register a complaint for a cognizable offence, regardless of whether the incident occurred within its jurisdiction. This section makes it imperative upon the police station to register a Zero FIR in case a cognizable offence is reported, even when the occurrence has taken place outside the jurisdiction of its police station. 23. The police station that registers the FIR assigns it the number “0” and then transfers it to the appropriate police station under whose jurisdiction the offence is committed, for further investigation. This procedure ensures prompt registration of FIR without delay, and immediate action, helping citizens to avoid delay and hassle, and further aids in preserving evidence by preventing loss of time in initiating investigation. 24. This Court also finds upon perusal of the application filed u/s 156(3) of Cr.P.C. that only the contents of social media

mentioning, without any date, time and place of the concert and without any authenticity, cannot be the ground to take cognizance of such offence even though the allegation of offence is serious in nature. 25.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCA0507452023

02 Anand Sathish v. The Superintendent of Police

MADRAS HIGH COURT • 2024-11-06 • CRL OP(MD)/16013/2024

यह मामला Criminal Original Petition से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने Crime No. 10 of 2024 की जांच को Dindigul पुलिस (तीसरे प्रतिवादी) से Madurai पुलिस (चौथे प्रतिवादी) को स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और कथित अपराध Madurai के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायालय ने पाया कि भले ही पुलिस किसी भी क्षेत्राधिकार में Zero FIR दर्ज कर सकती है, लेकिन जांच का क्षेत्राधिकार उचित पुलिस स्टेशन के पास ही होना चाहिए। न्यायालय ने तीसरे प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह दर्ज FIR को Zero FIR मानते हुए उसे उचित क्षेत्राधिकार वाले चौथे प्रतिवादी को स्थानांतरित करे, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके और कानून का पालन हो।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 173(1) में जीरो एफआईआर को शामिल करके इसे एक वैधानिक आधार दिया गया है। क्षेत्राधिकार की सीमाओं के बावजूद, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी को इसे दर्ज करना होगा और फिर इसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा।

“As rightly pointed out by the learned Senior Counsel appearing for the petitioner, Zero FIR has been given a statutory basis under BNSS, 2023 by including the same in Section 173(1) which relates to registration of FIR in cognizable cases. 21. Considering the scope of Zero FIR, it is clear that an Officer in charge of a Police Station, irrespective of his jurisdictional competence, shall record every information received orally or in writing, relating to the commission of a cognizable offence and that the power of an Officer in charge of a Police Station to investigate into a cognizable offence is co-extensive with that of the Court having jurisdiction over the local area within the limits of such Station, having power to enquire into or try that 11/15 [https://www.mhc.tn.gov.in/judis CrI.O.P.\(MD\)No.16013 of 2024](https://www.mhc.tn.gov.in/judis CrI.O.P.(MD)No.16013 of 2024) offence. 22. No doubt, the power of Court to interfere with an investigation is limited and that the investigation once started can not be called in question by the Court on the ground that the Police Officer investigating the same was lacking territorial jurisdiction provided the investigating officer bona fide without noticing lack of territorial jurisdiction has proceeded with the investigation. 23. In the case on hand, as already pointed out, it is the specific complaint of the petitioner that the fifth respondent had deliberately lodged the false complaint with the third respondent and that there was collusion between the third respondent and the fifth respondent and that is why, the third respondent had arrested two accused on the very same day. 24. In such a scenario, the third respondent cannot be allowed to proceed with the investigation. Hence, the third respondent is to be directed to consider the FIR registered in Crime No.10 of 2024 as Zero FIR and then to transfer the same to the jurisdictional police i.e., fourth 12/15 [https://www.mhc.tn.gov.in/judis CrI.O.P.\(MD\)No.16013 of 2024](https://www.mhc.tn.gov.in/judis CrI.O.P.(MD)No.16013 of 2024) respondent and the fourth respondent is to be directed to register the case and to proceed with the investigation and file final report within the time stipulated by this Court. 25. In the result, this Criminal Original Petition stands allowed.”

MADRAS HIGH COURT • 2024

स्रोत HCMD011008342024

03 Neelu Shrivastava v. State & Ors

HIGH COURT OF DELHI • 2021-11-30 • W.P.(CRL)/481/2020

यह याचिका एक महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसका यौन शोषण, बलात्कार और शारीरिक प्रताड़ना की गई है। पीड़िता ने दिल्ली के GTB Enclave पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन police ने इसे अधिकार क्षेत्र का मुद्दा बताकर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थानांतरित कर दिया। पीड़िता ने तर्क दिया कि अपराध का एक हिस्सा दिल्ली में भी हुआ था, इसलिए Delhi Police को जांच करनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि FIR का कुछ हिस्सा कहीं और घटित हुआ हो सकता है, लेकिन यदि अपराध का कोई भी हिस्सा संबंधित पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता है, तो उसे जांच करने से इनकार नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने मामले को उचित तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जीरो एफआईआर की व्यवस्था जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद लाई गई थी, ताकि पीड़ित को क्षेत्राधिकार की बाधाओं के बिना तुरंत राहत मिल सके। संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होने पर पुलिस तुरंत मामला दर्ज करने और उसे संबंधित थाने में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है।

“11. Before delving into the issue at hand, it is pertinent to first note what exactly constitutes a 'Zero FIR'. As per Section 154 CrPC, if any information relating to the commission of any cognizable offence is received by a Police Station, the Police is duty bound to register the FIR. However, if the crime does not occur within the jurisdiction of the said Police Station, then after registration of the 'Zero FIR', the same has to be transferred to the concerned Police Station where the offence has indeed been committed. ... Therefore, the place of crime and jurisdiction of the police station becomes irrelevant when a cognizable offence is disclosed, and the police station is obligated to instantly transfer the pertinent documents over to the police station vested with the jurisdiction which numbers the FIR and begins the investigation. 12. The provision of 'Zero FIR' came up as a recommendation in the Justice Verma Committee Report, in the new Criminal Law (Amendment) Act, 2013, after the horrendous Nirbhaya rape and murder case which took place in December 2012. The provision states: "A zero FIR can be filed by the victim, irrespective of their residence or place of occurrence of crime". In Lalita Kumar v. Govt. of U.P. & Ors., AIR 2014 SC 187, the Supreme Court also laid down that if a complaint is related to a cognizable offence, it is clear that as per Section 154 Cr.P.C., there has to be a mandatory registration of FIR.”

HIGH COURT OF DELHI • 2021

स्रोत DLHC010126882020

04 Petitioner v. Station House Officer, II Town Police Station

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2022-11-09 • WP/13993/2022

यह याचिका पुलिस को एक शिकायत पर F.I.R. दर्ज करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने बेटे की मेडिकल परीक्षा में सहायता के नाम पर धोखाधड़ी और पैसे हड़पने का आरोप लगाया था। न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या पुलिस द्वारा F.I.R. दर्ज करने से इनकार करने पर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके mandamus जारी करने की मांग करना कानूनी रूप से उचित है।

निर्णय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हालांकि जीरो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का दायित्व है, लेकिन एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज न करने की स्थिति में पीड़ित द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 या अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना पोषणीय नहीं है। पीड़ित को कानूनी कोड (सीआरपीसी/बीएनएसएस) के तहत निर्धारित वैधानिक उपायों का ही सहारा लेना होगा।

“28) ... In none of the said judgments, it is held that in case an F.I.R. is not registered or a Zero F.I.R. is not registered, in both the situations that the aggrieved person can approach the High Court under Article 226 of the Constitution of India and seek a direction to register an F.I.R. or Zero F.I.R. No such law is laid down either in the Lalita Kumari⁴ case or in the aforesaid judgments of the Delhi High Court and the Karnataka High Court. Therefore, the petitioner cannot rely on those judgments and seek to maintain the present Writ Petition filed for a mandamus to direct the police to register an F.I.R. or a Zero F.I.R. So, the contention of the learned counsel for the petitioner that in view of the law laid down by the Apex Court in Lalita Kumari 4 case, and in Umapathi S.13 case (of Karnataka High Court) and Neelu Shrivastava 13 case (of Delhi High Court), that the writ for mandamus is maintainable and direction is to be given to the police to register the Zero F.I.R. is misconceived and unsustainable under law. The appropriate remedy is not the writ and the party has to avail the remedies contemplated under Cr.P.C. as discussed in detail supra, as per the settled law. 29) To sum -up, writ for a mandamus or even a petition under Section 482 Cr.P.C., to direct police to register an F.I.R. or a Zero F.I.R. is not maintainable. The aggrieved person has to avail his remedies contemplated under Cr.P.C. 28”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2022

स्रोत APHC010238202022

05 Shivananad Bhajanthri v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025-08-29 • CRLP/10506/2025

याचिकाकर्ता ने FIR को रद्द करने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि कथित अपराध कर्नाटक में हुआ था और हैदराबाद पुलिस के पास क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 173 of the BNSS के तहत, पुलिस किसी भी स्थान पर संज्ञेय अपराध के लिए 'Zero FIR' दर्ज कर सकती है, भले ही अपराध उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ हो। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में FIR को 'Zero FIR' के रूप में सही ढंग से दर्ज नहीं किया था। न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें और मामले को उस पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करें जिसके पास अधिकार क्षेत्र है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पुलिस के पास क्षेत्राधिकार न होने पर भी जीरो एफआईआर दर्ज करने की शक्ति है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है। न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर को जीरो एफआईआर मानकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और इसे क्षेत्राधिकार वाले थाने में भेजने का आदेश दिया।

“6. A perusal of the complaint reveals the offence to have been occurred at Bijapur, Karnataka District. However, the police can register Zero FIR, even when they do not have any jurisdiction as per Section 173 of BNSS. This is to prevent victims from being delayed or denied justice when they are in urgent or threatening situation. The Police are also issued sop with regarri to such kind of FIR's by Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs. 7. The BNSS-2023 has replaced Criminal procedure Code, 1973 and the provisions of registration of a cognizable offence is now provided under Section 113 of BNSS instead of Section 154 of Cr.P.C. The SOP outlines the following procedural steps which may be followed for submissions and processing of Zero FIRs ...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2025

स्रोत HBHC010482962025

06 The State of Telangana v. Sri Managipet @ Mangipet Sarveshwar Reddy

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-12-06 • 2019 INSC 1333

यह मामला Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत दर्ज एक FIR को रद्द करने से संबंधित है। आरोपी ने Section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने कुछ आधारों पर कार्यवाही को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था, लेकिन Supreme Court ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास जनहित में अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति और जांच के लिए अधिकृत करने की कार्यकारी शक्ति है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हर मामले में preliminary inquiry अनिवार्य नहीं है और अभियोजन पक्ष के लिए sanction को परीक्षण (trial) के दौरान भी पेश किया जा सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को विचारण अदालत (trial court) में भेज दिया गया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने *Lalita Kumari* के फैसले को दोहराते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होने पर एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जांच अनुमेय नहीं है। प्रारंभिक जांच केवल तभी की जा सकती है जब अपराध का स्वरूप स्पष्ट न हो।

“29. The Court concluded that the registration of an FIR is mandatory under Section 154 of the Code if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. This court held as under: “111. In view of the aforesaid discussion, we hold: i) Registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. ii) If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010003152019

07 Om Prakash Ambadkar v. The State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-01-16 • 2025 INSC 139

इस मामले में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा Section 156(3) of the Code of the Criminal Procedure, 1973 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी कोई शिकायतकर्ता Section 156(3) के तहत आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करे और यह देखे कि क्या लगाए गए आरोप वास्तव में किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का गठन करते हैं या नहीं। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में मजिस्ट्रेट ने बिना यह जांचे कि क्या आरोप अपराध के दायरे में आते हैं, यांत्रिक रूप से (mechanically) आदेश पारित किया था। कोर्ट ने कहा कि केवल अपमानजनक या अभद्र शब्दों का प्रयोग Section 294 of the Indian Penal Code के तहत 'अश्लील कृत्य' नहीं माना जा सकता। अतः, कोर्ट ने मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस के तहत मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी का आदेश देने से पहले न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा। बीएनएसएस के तहत आदेश देने से पूर्व मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता द्वारा एसपी को दिए गए धारा 173(4) के आवेदन और शपथ पत्र पर विचार करना आवश्यक है।

“31. A comparison of Section 175(3) of the B.N.S.S. with Section 156(3) of the Cr.P.C. indicates three prominent changes that have been introduced by the enactment of B.N.S.S. as follows: a. First, the requirement of making an application to the Superintendent of Police upon refusal by the officer in charge of a police station to lodge the F.I.R. has been made mandatory, and the applicant making an application u/s 175(3) is required to furnish a copy of the application made to the Superintendent of Police under Section 173(4), supported by an affidavit, while making the application to the Magistrate u/s 175(3).”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010002692025

08 Lalita Kumari v. Government of U.P.

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-02-27 • 2012 INSC 108

यह मामला Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत पुलिस की कानूनी बाध्यता से संबंधित है। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, या उसे FIR दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच (preliminary enquiry) करने का कोई विवेक या विकल्प प्राप्त है। न्यायालय ने पाया कि इस विषय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों में विरोधाभासी राय रही है। इस मुद्दे के सार्वजनिक महत्व और कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता को देखते हुए, न्यायालय ने इस मामले को कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक Constitution Bench को संदर्भित करने का निर्णय लिया ताकि एक आधिकारिक कानूनी सिद्धांत स्थापित किया जा सके।

निर्णय न्यायालय ने प्रारंभिक विश्लेषण में रेखांकित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा और पीड़ित के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। हालांकि, संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी के पास सामान्यतः विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती हैं।

“50. ... In the light of Article 21, provisions of Section 154 A of Cr.P.C. must be read down to mean that before registering an FIR, the Station House Officer must have a prima-facie satisfaction that there is commission of cognizable offence as registration of an FIR leads to serious consequences for the person named as accused and for this purpose, the B requirement of preliminary enquiry can be spelt out in Section 154 and can be said to be implicit within the provisions of Section 154 of Cr.P.C.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010001522012

09 Md. Laskar Ali v. The State of Assam

GAUHATI HIGH COURT • 2025-01-28 • WP(C)/407/2025

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने नाबालिग पोते की संदिग्ध मृत्यु के मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने के खिलाफ दायर किया गया था। न्यायालय ने Supreme Court के विभिन्न निर्णयों, जैसे कि Sakiri Vasu vs. State of Uttar Pradesh का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है, तो संबंधित व्यक्ति का उपचार उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर करना नहीं, बल्कि Section 156(3) CrPC (या नया कानून, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 के तहत संबंधित प्रावधान) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाना है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को कानून द्वारा निर्धारित वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने का निर्देश दिया।

निर्णय गौहाटी उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़ित पुलिस द्वारा एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज न करने से पीड़ित है, तो उसके पास बीएनएसएस की धारा 175(3) (पुराने कानून की धारा 156(3) के समकक्ष) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। इसलिए, ऐसी रिट याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

“12. Having regard to the provisions contained in Section 156[3], CrPC and Section 175[3], BNSS and the observations made in the decisions mentioned above, this Court finds that the power used to be used by the Magistrates earlier under Section 156[3], CrPC is also exercisable under Section 175[3], BNSS. This Court is also of the considered view that if the petitioner has any grievance as regards the non-registration of the FIR he can approach the jurisdictional Magistrate concerned under Section 175[3], BNSS by adhering to the prescription mentioned therein.”

GAUHATI HIGH COURT • 2025

स्रोत GAHC010007462025

10 Rohit Das v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/10/2025

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित था, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है और वह एक 'bonafide purchaser' है। विवाद अचल संपत्ति की बिक्री के दौरान दलालों और विक्रेताओं के बीच भुगतान संबंधी समस्याओं से उत्पन्न हुआ था। न्यायालय ने माना कि FIR को रद्द करना जल्दबाजी होगी क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कोई charge sheet दायर नहीं की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि FIR का उद्देश्य अपराध के घटित होने का संदेह पैदा करना है, न कि सभी विवरणों को समाहित करना। जांच पूरी होने तक हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि एफआईआर का मुख्य परीक्षण यह है कि क्या प्रदान की गई सूचना से संज्ञेय अपराध का संदेह पैदा होता है। एफआईआर को कोई विस्तृत दस्तावेज होने की आवश्यकता नहीं है, और शुरुआती चरण में ही इस आधार पर जांच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

“9. On a conjoint reading of section 173(4) and 175(3), it appears that section 173(4) of BNSS, 2023 gives a right to the complainant to make a complaint to the Superintendent of Police once the Officer Incharge of the Police Station has refused to record the information furnished under section 173(1) while in section 175(3) if an application is filed by the applicant for non-registration of the FIR ... The true test of a valid FIR is to ascertain whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence to be investigated by a police officer under section 175(1) of the BNSS.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001852025

11 K.P. Tamilmaran v. The State by Deputy Superintendent of Police

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-04-28 • 2025 INSC 576

यह मामला एक ऑनर किलिंग से जुड़ा है, जिसमें एक दलित युवक और Vanniyar समुदाय की युवती की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य विवाद पुलिस अधिकारियों (A-14 और A-15) की भूमिका पर था, जिन्होंने जानबूझकर FIR दर्ज करने में देरी की और Vanniyar समुदाय के असली दोषियों को बचाने के लिए Dalit समुदाय के निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामले में फंसाया। उन्होंने साक्ष्य मिटाने और जाली सबूत तैयार करने का भी प्रयास किया। Supreme Court of India ने High Court के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें A-15 की दोषसिद्धि (Sections 217, 218 IPC और Sections 3(2)(i), 4 of the SC/ST Act) को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है यदि उन्हें किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की जानकारी मिलती है, चाहे वह सूचना देने वाला कोई भी हो।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत मामला दर्ज करना अनिवार्य है। यदि कोई औपचारिक शिकायतकर्ता नहीं भी आता है, तब भी पुलिस का यह कानूनी दायित्व है कि वह अपराध की सूचना मिलने पर खुद मामला दर्ज कर जांच शुरू करे।

“Once the police gets information regarding the commission of a cognizable offence, whether it is through any informant/complainant or otherwise, police is empowered to register the case and proceed with the investigation. This becomes clear from the bare reading of Sections 156 and 157 of CrPC. ... A Constitution Bench of this Court in Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2014) 2 SCC 1 made it absolutely clear that an FIR can be registered even if there is no formal informant. In fact, it is obligatory for police to register the FIR when they receive any information which is sufficient to suspect that some cognizable offence has been committed.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010005442025

12 T. Madhavi v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/12/2025

यह मामला अचल संपत्ति के लेनदेन में कथित धोखाधड़ी से संबंधित FIR को रद्द करने की मांग से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि विवाद मुख्य रूप से शिकायतकर्ताओं और ब्रोकर के बीच है, और यह प्रकृति में दीवानी (civil) है, इसलिए FIR दर्ज करने का Magistrate का आदेश अनुचित था। न्यायालय ने माना कि FIR को किसी अपराध का विस्तृत विवरण या सबूत का ठोस दस्तावेज होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह केवल संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना प्रदान करने के लिए है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए इस स्तर पर FIR को रद्द करना जल्दबाजी होगी। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

निर्णय अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी प्राथमिकी की वैधता का परीक्षण केवल यह देखना है कि क्या दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह पैदा होता है। चूंकि मामला शुरुआती स्तर पर है, इसलिए इसके दीवानी स्वरूप का दावा करते हुए इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

“8. ... The FIR was never treated to be a substantive piece of evidence and can be only used to corroborate as contradict the informant's evidence in the court. FIR is not an encyclopedia disclosing all facts and details relating to the offence. The true test of a valid FIR is to ascertain whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence to be investigated by a police officer under section 175(1) of the BNSS.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001872025

13 Kailash Vijayvargiya v. Rajlakshmi Chaudhuri

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-05-04 • 2023 INSC 494

यह मामला Section 156(3) of the Code of Criminal Procedure के तहत Magistrate की शक्तियों और FIR दर्ज करने के आदेश से संबंधित है। एक शिकायतकर्ता ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था, जिसे Magistrate ने पहले खारिज कर दिया था। High Court ने इस आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनः विचार के लिए भेज दिया। इसके बाद Magistrate ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। Supreme Court ने स्पष्ट किया कि Magistrate को अपने न्यायिक विवेक (judicial mind) का उपयोग करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या Section 156(3) के तहत जांच का आदेश देना है, या Section 202 के तहत संज्ञान (cognizance) लेना है। न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले पर फिर से विचार किया जाए और उचित प्रक्रिया अपनाई जाए।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब मजिस्ट्रेट प्राथमिकी का आदेश देने के लिए धारा 156(3) (बीएनएसएस की धारा 175 के समकक्ष) के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसे यांत्रिक रूप से आदेश देने से बचना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाए गए आरोपों में न्यायिक विवेक लगाने पर संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होता है।

“17. Having said so, the Constitutional Bench in Lalita Kumari (supra), nevertheless, felt it was necessary by judicial interpretation to carve out another layer of protection vide preliminary inquiry by police. In certain instances, a preliminary inquiry may be justified owing to the genesis and novelty of crimes. ... Preliminary inquiry, when held, should be conducted without causing delay and in a time bound manner.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR010004192023

14 Jahanara Begum v. The State

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/13/2025

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जो अचल संपत्ति के सौदे में कथित धोखाधड़ी से उत्पन्न हुई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद प्रकृति में नागरिक (civil) है और Magistrate का FIR दर्ज करने का आदेश मनमाना था। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि FIR जांच का केवल प्रारंभिक चरण है और मामले की पूर्ण जांच आवश्यक है। न्यायालय ने माना कि FIR को रद्द करना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि जांच अभी चल रही है और अभी तक कोई charge sheet दाखिल नहीं की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि FIR किसी अपराध के होने के संदेह का संकेत मात्र है, न कि अंतिम प्रमाण। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, तो उसे जांच के प्रारंभिक चरण में ही रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एफआईआर को अपराध का विस्तृत इतिहास होने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल संज्ञेय कृत्य की जांच का प्रवेश बिंदु है।

“8. ... The FIR was never treated to be a substantive piece of evidence and can be only used to corroborate as contradict the informant's evidence in the court. FIR is not an encyclopedia disclosing all facts and details relating to the offence. The true test of a valid FIR is to ascertain whether the information furnished provides reason to suspect the commission of an offence to be investigated by a police officer under section 175(1) of the BNSS.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001882025

15 Charansingh v. State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-03-24 • 2021 INSC 207

यह मामला भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जहाँ appellant के खिलाफ disproportionate assets के आरोप लगे थे। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या FIR दर्ज करने से पहले 'preliminary enquiry' करना कानूनी रूप से मान्य है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में FIR पंजीकरण से पहले preliminary enquiry न केवल अनुमेय (permissible) है बल्कि वांछनीय भी है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कोई cognizable offence हुआ है या नहीं। यदि enquiry में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तो FIR दर्ज नहीं की जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी enquiry के दौरान आरोपी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देना कानून के विरुद्ध नहीं है और यह प्रक्रिया किसी 'fishing or roving enquiry' की श्रेणी में नहीं आती है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच केवल अनुमेय ही नहीं बल्कि वांछनीय भी है। इसका दायरा शिकायत की विश्वसनीयता को परखना नहीं, बल्कि केवल यह देखना है कि क्या संज्ञेय अपराध के तथ्य प्रकट होते हैं।

“8.1 ... While holding that the registration of FIR is mandatory under Section 154, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary enquiry is permissible in such a situation and the same is the general rule and must be strictly complied with, this Court has carved out certain situations/cases in which the preliminary enquiry is held to be permissible/desirable before registering/lodging of an FIR.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010002042021

16 R. Somasundaram v. State of Tamil Nadu

MADRAS HIGH COURT • 2025-10-14 • CRL OP(MD)/10129/2025

यह मामला पुलिस द्वारा 'preliminary enquiry' की प्रक्रिया और उस दौरान समन जारी करने की वैधता से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की Section 173(3) के तहत कुछ अपराधों में प्रारंभिक जांच की अनुमति है, लेकिन यह जांच एक mini-trial नहीं हो सकती। न्यायालय ने दोहराया कि जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती, तब तक Section 179 BNSS (पूर्व में Section 160 CrPC) के तहत गवाहों को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए समन जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच की प्रक्रिया FIR पंजीकरण के बाद ही शुरू होती है। पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे प्रारंभिक जांच के दौरान कानूनी सीमाओं का पालन करें और साक्ष्य जुटाने के लिए बिना FIR के किसी को भी परेशान न करें।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत ३ से ७ साल की सजा वाले संज्ञेय मामलों में पुलिस को प्रारंभिक जांच का अधिकार है, लेकिन यह शक्ति मनमानी नहीं हो सकती। एफआईआर दर्ज किए बिना किसी भी नागरिक को परेशान करने या गैर-जरूरी समन जारी करने की अनुमति पुलिस को नहीं दी जा सकती।

"8. However, with the coming into force of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), a new statutory provision has been introduced in Section 173(3), which provides: ... '... the officer in charge of the police station may with the prior permission from an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, considering the nature and gravity of the offence, proceed to conduct preliminary enquiry ... within a period of fourteen days; or proceed with investigation when there exists a prima facie case.'"

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMD010636422025

17 G. Krishna Murthy v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025-03-18 • CRL.P/3306/2025

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 (Karnataka Excise Act, 1965) के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग से संबंधित है। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि याचिकाकर्ता को बिना परमिट के व्हिस्की ले जाते हुए पकड़ा गया था। न्यायालय ने पाया कि आबकारी अधिकारियों ने संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना मिलने के बावजूद FIR दर्ज करने या स्टेशन हाउस डायरी में लिखित जानकारी दर्ज करने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। न्यायालय ने माना कि Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) का उल्लंघन हुआ है, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया दूषित हो गई है। इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए, उच्च न्यायालय ने संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संज्ञेय अपराधों में बीएनएसएस की धारा 173 के प्रावधान अनिवार्य हैं। एफआईआर दर्ज किए बिना या स्टेशन हाउस डायरी में लिखित कारणों को दर्ज किए बिना की गई कोई भी जांच पूरी प्रक्रिया को दूषित (vitiated) कर देती है, जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

“5. In the present case, Section 173 of the Bharati ya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) Act, 2023, which deals with the reporting of information on cognizable offences, states that every information relating to the commission of a cognizable offence shall be reported in writing. Before conducting an investigation, the registration of the FIR is mandatory. 6. In the instant case, the respondent conducted the investigation without registering the FIR or recording the reason in writing in the Station House Diary in case of exigencies ...”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2025

स्रोत KAHC010158772025

18 Pradeep Nirankarnath Sharma v. State of Gujarat & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2025-03-16 • 2025 INSC 350

यह मामला एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी द्वारा दायर की गई याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज करने से पहले एक अनिवार्य प्राथमिक जांच (preliminary inquiry) की जानी चाहिए। अपीलकर्ता का तर्क था कि उनके खिलाफ बार-बार FIR दर्ज करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्होंने Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh का हवाला दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Lalita Kumari का निर्णय हर मामले में प्राथमिक जांच को अनिवार्य नहीं बनाता है। यदि सूचना से प्रथम दृष्टया (prima facie) किसी cognizable offence का पता चलता है, तो पुलिस के लिए Section 154 of the Code of Criminal Procedure के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस को जांच से पहले छूट देना कानूनी रूप से गलत होगा और ऐसी blanket राहत देना न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) होगा।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संज्ञेय अपराध के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने या स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करता हो।

“10. ... under Section 154 of the CrPC, the registration of an FIR is mandatory if the information received discloses the commission of a cognizable offence, and the police have no discretion to conduct a preliminary inquiry except in limited circumstances as laid down in Lalita Kumari (supra). The State also asserted that there is no statutory provision requiring the accused to be given an opportunity to explain his position before the registration of an FIR...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2025

स्रोत ESCR010003502025

19 Bikash Ranjan Rout v. State Through The Secretary (Home) Government Of NCT Of Delhi

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-04-16 • 2019 INSC 536

यह मामला Magistrate द्वारा अभियुक्त (accused) को Section 227 CrPC के तहत discharge किए जाने के बाद स्व-प्रेरणा (suo moto) से आगे की जांच (further investigation) का आदेश देने की कानूनी वैधता से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार जब Magistrate किसी आरोपी को discharge कर देता है, तो वह Section 173(8) CrPC के तहत स्व-प्रेरणा से आगे की जांच का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि, जांच अधिकारी कानून के अनुसार स्वयं आगे की जांच के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार, न्यायालय ने Magistrate और High Court के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आती है, तो वह या तो इसे स्वीकार कर संज्ञान ले सकता है, या कार्यवाही बंद कर सकता है, या आगे की जांच का निर्देश दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट कार्यवाही बंद करने का निर्णय लेता है, तो शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।

“Where, in either of these two situations, the Magistrate decides to take cognizance of the offence and to issue process, the informant is not prejudicially affected ... But if the Magistrate decides that there is no sufficient ground for proceeding further and drops the proceeding ... the Magistrate must give notice to the informant and provide him an opportunity to be heard at the time of consideration of the report.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010008632019

20 K. Bhaskar Rao v. The State and Others

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-03-12 • CRR/16/2025

यह मामला एक FIR को रद्द करने की याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद मुख्य रूप से एक संपत्ति के लेन-देन में शामिल खरीदार, विक्रेता और ब्रोकर के बीच का सिविल मामला है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि मजिस्ट्रेट ने Section 156(3) of the Criminal Procedure Code (तथा संबंधित BNSS 2023 प्रावधानों) का पालन किए बिना FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि FIR कोई विस्तृत दस्तावेज़ नहीं है और इस चरण पर जाँच को बाधित करना उचित नहीं है। चूँकि अभी जाँच जारी है और कोई charge sheet दाखिल नहीं हुई है, न्यायालय ने FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारा 173(4) और धारा 175(3) बीएनएसएस के संयुक्त पठन पर विचार करते हुए दोहराया कि एफआईआर का मुख्य उद्देश्य केवल संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह पैदा करना है। यदि शिकायतकर्ता ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश पूर्णतः वैध है।

“7. On a conjoint reading of section 173(4) and 175(3), it appears that section 173(4) of BNSS, 2023 gives a right to the complainant to make a complaint to the Superintendent of Police once the Officer Incharge of the Police Station has refused to record the information furnished under section 173(1) while in section 175(3) if an application is filed by the applicant for non-registration of the FIR ... direct registration of an FIR.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCP0001912025

21 Kamlesh Meena v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-07-24 • NA528/25348/2025

यह मामला एक निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें पुलिस को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर F.I.R. दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता, जो कि संभावित आरोपी हैं, ने दलील दी कि यह आदेश B.N.S.S. की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल F.I.R. दर्ज करने के निर्देश से किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का हनन नहीं होता और जांच के चरण में संभावित आरोपियों के पास अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर होता है। तदनुसार, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच के चरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश से संभावित आरोपियों के अधिकारों का हनन नहीं होता। बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते समय पुलिस रिपोर्ट और शिकायतकर्ता के शपथ पत्र का विश्लेषण करना होगा।

“10. Under the new law i.e. Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (in brevity, 'B.N.S.S.'), the corresponding provisions of the aforesaid Section 154 Cr.P.C. are enunciated under Section 173 of B.N.S.S. Likewise, previous provisions under Section 156(3) of Cr.P.C., in relation to entertaining the complaint by the learned Magistrate, are enunciated under Section 175(3) of B.N.S.S. ... any Magistrate, before ordering investigation u/s175(3) of the B.N.S.S., is required to: a. Consider the application, supported by an affidavit ... b. Conduct such inquiry as he thinks necessary; and c. Consider the submissions made by the police officer.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC013393912025

22 Surender Kaushik v. State of Uttar Pradesh

SUPREME COURT OF INDIA • 2013-02-14 • 2013 INSC 103

यह मामला FIR के पंजीकरण से संबंधित है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि एक ही घटना के संबंध में दूसरी FIR दर्ज करना आम तौर पर वर्जित है, लेकिन यह सिद्धांत 'counter FIR' पर लागू नहीं होता है। यदि अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा एक ही घटना के विभिन्न पहलुओं या अलग-अलग संस्करणों के आधार पर शिकायतें की जाती हैं, तो दूसरी FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'sameness' का सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब आरोप अलग-अलग हों और उनका दायरा अलग हो। वर्तमान मामले में, चूंकि FIRs में लगाए गए आरोप और शामिल व्यक्तियों की भूमिकाएं भिन्न थीं, इसलिए दूसरी FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि एक ही घटना से उत्पन्न होने वाले दो अलग-अलग संस्करणों (versions) के आधार पर परस्पर विरोधी शिकायतें (counter FIRs) दर्ज की जा सकती हैं। 'समरूपता' (sameness) का सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब दोनों शिकायतों का दायरा और भूमिकाएं भिन्न हों।

“15. ... 'The 1973 CrPC specifically provides for further investigation after forwarding of report under sub-section (2) of Section 173 CrPC and forwarding of further report or reports to the Magistrate concerned under Section 173(8) CrPC. It follows that if the gravamen of the charges in the two FIRs - the first and the second - is in truth A and substance the same, registering the second FIR and making fresh investigation and forwarding report under Section 173 CrPC will be irregular and the court cannot take cognizance of the same.'”

SUPREME COURT OF INDIA • 2013

स्रोत ESCR010003162013

23 Santosh Kumar Bhaskar v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023-01-30 • WPCR/61/2023

यह मामला एक रिट याचिका से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों जैसे कि Sakiri Vasu और M. Subramaniam का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो हाईकोर्ट में सीधे रिट याचिका दाखिल करना उचित उपचार नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता के पास Section 154(3) CrPC के तहत उच्च पुलिस अधिकारियों के पास जाने या Section 156(3) CrPC के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज

कराने का प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। अतः, याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार इन वैकल्पिक मंचों पर जाने की स्वतंत्रता दी गई।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर परमादेश (mandamus) जारी करने की रिट याचिका पोषणीय नहीं है। शिकायतकर्ता को धारा 156(3) या धारा 200 सीआरपीसी (अब बीएनएसएस के तहत संबंधित प्रावधान) के तहत वैकल्पिक न्यायिक मंचों का उपयोग करना चाहिए।

“3. ... petitioner is seeking mandamus directing the police to register FIR under Section 154 of CrPC, which is not maintainable and petitioner be relegated to avail remedy of approaching jurisdictional criminal court under Section 156(3) of CrPC or to prefer complaint under Section 200 CrPC. ... 120.1 Registration of FIR is mandatory under section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023

स्रोत CGHC010033682023

24 Ebha Arjun Jadeja & Ors. v. The State of Gujarat

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-10-16 • 2019 INSC 1148

यह मामला Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA Act) की धारा 20-A(1) के अनिवार्य अनुपालन से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस को TADA Act के तहत अपराध की जानकारी दर्ज करने से पहले District Superintendent of Police से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस मामले में, अभियुक्तों से अवैध हथियार बरामद किए गए थे, और पुलिस ने बिना पूर्व मंजूरी के FIR दर्ज कर ली थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मामला मुख्य रूप से TADA Act के तहत अपराध का है, तो प्रक्रियात्मक चूक (procedural lapse) पूरी कार्यवाही को दूषित कर देती है। तदनुसार, न्यायालय ने TADA Act के तहत अभियुक्तों को डिस्चार्ज कर दिया, हालांकि उनके खिलाफ Arms Act के प्रावधानों के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई।

निर्णय न्यायालय ने धारा 154 सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनिवार्यता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि जब भी संज्ञेय अपराध की मौखिक सूचना दी जाती है, तो थाना प्रभारी उस सूचना को स्टेशन बुक में दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

“12. ... We may refer to the opening portion of Section 154 of CrPC, which reads as under: “ 154. Information in cognizable cases. -(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally ... shall be reduced to writing ... 13. The word ‘FIR’ is not used in Section 154 of CrPC, though it is now commonly used with regard to information recorded under Section 154. Therefore, whenever information relating to commission of a cognizable offence is given orally then the officer-in-charge of the police station is bound to record that information in a book to be kept for such offences...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010002512019

25 Union of India v. State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-10-01 • 2019 INSC 1102

यह मामला 'Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra' के निर्णय में जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा से संबंधित है। पूर्व निर्णय में Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत गिरफ्तारी से पहले 'appointing authority' या S.S.P. की मंजूरी और Dy. S.P. द्वारा प्रारंभिक जांच अनिवार्य कर दी गई थी। न्यायालय ने इन दिशा-निर्देशों को रद्द कर

दिया क्योंकि ये विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं और संविधान के Article 15 के तहत 'protective discrimination' के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून का दुरुपयोग होने पर Section 482 of the Cr.P.C. के तहत राहत ली जा सकती है, लेकिन कानून के प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जा सकता।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 154(1) के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में किसी प्रकार की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता का परीक्षण पूर्व-शर्त नहीं है। पुलिस अधिकारी 'विश्वसनीयता' के अभाव का बहाना बनाकर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता।

“31. At the stage of registration of a crime or a case on the basis of the information disclosing a cognizable offence in compliance with the mandate of Section 154(1) of the Code, the concerned police officer cannot embark upon an enquiry as to whether the information, laid by the informant is reliable and genuine or otherwise and refuse to register a case on the ground that the information is not reliable or credible. ... 32. Be it noted that in Section 154(1) of the Code, the legislature in its collective wisdom has carefully and cautiously used the expression “information” without qualifying the same as in Section 41(1)(a) or (g) of the Code wherein the expressions, “reasonable complaint” and “credible information” are used.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010001392019

अ स्वी क र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।